

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल: gandhinagar.ibm@gmail.com Mine Code-38GUJ08269 Date-15/11/2017

मिसिल संख्या : GUJ/POR/LST-51

प्रेषित : M/s Saurashtra Chemicals Division of Nirma Ltd,
Nirma House, Ashram Road, Near Income Tax,
Ahmadabad, Gujarat-380 009

विषय:- गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, रानावाव-तालुका, धरमपुर/कजवदरी-गाँव में स्थित आपकी चूनापत्थर खदान, सर्वे नंबर -2/9 (P), क्षेत्रफल 18.21 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 29/10/2017 को श्री डी॰के॰ सिंह एवं खदान मैनेजर श्री शशि भूषण प्रसाद की उपस्थिति में किया गया था तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया।

| नियम | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो |
|---------------|---|
| Rule 11(1) | The mining operations are not carried out as per approved Scheme of mining vide letter No 682/(23)/MS-383/2007 dated 02/11/2012 for the year 2012-13 to 2016-17 to the extent indicated below. Excavation- (i) It was proposed to work the mining operation as earmarked in plan & sections (Plates-5) for the year 2016-17 but actual mine workings i.e. production & development is not achieved as proposed & lagging & deviated from proposal in plan period. |
| Rule 11(4) | The holder of a mining lease shall submit the mining plan to the competent authority for review at least one hundred and eighty days before the expiry of five years period for which it was approved on the last occasion, for mining operations for a period of five subsequent years. In your case, last scheme of mining was approved dated 02/11/2012 for the year 2012-13 to 2016-17 & No Review of mining plan under provision of rule is submitted to this office till date. |
| Rule 33 | The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30th June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section maintained under rule 32 of MCDR,2017 to this office till date. |
| Rule 55(1)(3) | A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **45 दिन** के भीतर उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन, निदेशालय, गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।
03. रक्षित पत्रावली।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर